सुविचार

दुनिया उन्ही पर भरोसा करती है, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है!

साप्ताहिक

युवा प्रदेश

Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

YP24 NEWS

FREEDOM OF SPEECH

जिला एवं तहसील में संवाददाता नियुक्त करना है। संपर्क करे -9425156055

वर्ष 9, अंक- 22 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 05 जुलाई 2024 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

CPC 89- न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा कैसे होता है, जानिए - Legal knowledge

भारत के न्यायालयों में सिविल मामलों की दाखिला दर उनके निपटारे की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके कारण विवादों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह पिछले कई सालों से हो रहा है। वैसे भी ज्यादातर सिविल मामलों में दोनों पक्ष एक ही परिवार के होते हैं। या फिर दोनों पक्षों के बीच कभी घनिष्ठ संबंध रहे होते हैं। न्यायालय का प्रयास होता है कि विवाद का निपटारा भी हो जाए और सामाजिक संबंध भी खराब ना हो। यही कारण है कि कुछ मामलों को न्यायालय के बाहर निपटारा करने की छूट दी जाती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 की परिभाषा (सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में)

युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)
9827737665

न्यायालय इस धारा के अधीन वाद या कार्यवाहियों के पक्षकारों से विवादों के मैत्रीपूर्ण समाधान किए जाने की अपेक्षा निम्न प्रकार से करेगा-

(क). मध्यस्थम् एवं सुलह द्वारा - मध्यस्थम् एवं सुलह के माध्यम से निपटारे के लिए मध्यस्थम् ओर सुलह अधिनियम,1996 के प्रावधान अनुसार मामले का निपटारा किया जा सकता है।

(ख) न्यायिक निपटारा अर्थात लोक अदालत के माध्यम से- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 की धारा 20 की उपधारा 01 के प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत द्वारा विवादों का निपटारा किया जा सकता है। एवं

(ग). न्यायिक निपटारे के लिए न्यायालय किसी भी संस्था को जैसे वन स्टॉप सेंटर आदि या किसी व्यक्ति को संदर्भित किया जा सकता है एवं इनमें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

(घ). मध्यस्थता- मध्यस्थता के अंतर्गत न्यायालय पक्षकारों के मध्य हुए समझौता को लागू करेगा।

नोट- अगर उपर्युक्त समस्त प्रयासों के बाद विवादों का निपटारा नहीं होता है तब मामले में विचारण की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा प्रारंभ कर दी जाएगी। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article).

दिव्यांग बच्चों से दुर्व्यवहार करने वालों को क्या सजा दी जाती है जानिए - JJ Act, 2015-85

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 किशोरी बालक के सम्पूर्ण संरक्षण करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जिसमे सभी प्रकार के बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षण किया जाता है, अगर कोई बालक निःशक्त हैं और किसी भी प्रकार का अत्याचार उस पर किया जाता है तब अत्याचार करने वाले व्यक्ति को क्या दण्ड का प्रावधान होगा जानिए।

युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर अहिरवार(एडवोकेट एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)
9827737665

किशोर न्याय(बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2015 की धारा 85 की परिभाषा: ऐसा कोई किशोर बालक जो किसी डॉक्टर द्वारा या मेडिकल परीक्षण द्वारा निःशक्त प्रमाणित किया हो, तब ऐसे बालक को कोई शारीरिक दण्ड देगा, भीख मंगवाएगा, नशीले पदार्थ का सेवन कराएगा, शराब की दुकान या बियर-बार में काम करवाएगा, शोषण करेगा आदि तब ऐसे व्यक्ति को धार 85 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा।

दण्ड का प्रावधान- यह अपराध पूर्ण तरह संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध हैं, इस अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। सजा इस अपराध के लिए सामान्य बालक पर अत्याचार करने पर जो दण्ड का प्रावधान हैं उसके दण्ड से दुगना दण्ड दिया जाएगा। अर्थात बाल कर्मचारी के शोषण करने पर पांच वर्ष की कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दण्डित किया जाता है अगर यही अपराध निःशक्त बाल कर्मचारी के साथ किया जाए तो अधिकतम दस वर्ष की कारावास और दो लाख रुपए का दंड का प्रावधान होगा।,, Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article).

सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुँचाएं विधायक - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्व-सहायता समूहों को गौ-शाला संचालन के लिए जोड़ा जाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने और जानकारी उपलब्ध कराने में विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 4 साल का रोडमैप बना लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन की मानिटरिंग लगातार होती रहे। हितग्राहियों से सम्पर्क बना रहे। सभी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएं, अपात्रों के नाम काटे जाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ के आव्हान के तहत अपनी विधानसभा में सभी विधायक पौध-रोपण के कार्यक्रम का आयोजन कर अभियान का हिस्सा बनें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विधायकों को आगामी चार साल के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा दी जाएगी। राशि का प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकरण कर जनता के विकास कार्यों में उपयोग किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो सके। मुख्यमंत्री डॉ.यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में सागर संभाग के विधायकों से चर्चा

कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्य के लिए 4 साल का समय शेष है, इन चार वर्षों के कार्यों के लिये रोड मेप बनाएँ। सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-शालाओं के संचालन का उल्लेख करते हुए कहा कि स्व-सहायता समूहों को भी गौ-शाला संचालन के लिए दे सकते हैं। इससे गौ-शालाओं का संचालन अच्छी तरह हो सकेगा। दुग्ध उत्पादन के लिए बोनस देने की योजना बनाई जाएगी। स्वस्थ पशु अपने घरों में रखें, लावारिस और अपाहिज गौ-वंश को गौ-शालाओं में रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई 2024 से पुलिस के कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रम आयोजित कर दी जाए।

बदली गई धाराओं से नागरिकों को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ÷स्कूल चलें अभियान÷ में स्कूलों का निरीक्षण हो। स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश तथा अन्य सामग्री वितरित कराई जाए। रोडमेप बनाकर स्कूलों का उन्नयन कराएं। अनुसूचित जाति -जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास, स्कूल, आंगनवाड़ी, हास्पीटल में पौधे लगवाए जाएं। स्व-सहायता समूहों के साथ विधानसभा के कार्यक्रम आयोजित कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राशन का आवंटन उचित मूल्य दुकानों में पहुंचाया जाए। आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को ठीक ढंग से मिले, जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आयोजनों में भारतीय तिथियों और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन का कार्य अभियान चलाकर करें। रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यों को बढ़ाया जाए। ध्यान दिया जाए कि विधानसभा क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। विधायक अपने कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण करें, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक अपने कार्यालय की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाएँ। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए। विधानसभा में किए गए अच्छे प्रयोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्मारिका का प्रकाशन करवाएं।

योजना के कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में बैठक में सिंहस्थ ‍- 2028 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना के अंतर्गत क्षिप्रा नदी को प्रदूषणमुक्त बनाने की योजना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कान्ह नदी के व्यपवर्तन, कान्ह नदी पर 11 बैराजों के निर्माण, सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह योजना और क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित 18 बैराजों के निर्माण और क्षिप्रा नदी पर स्नान आदि के बेहतर प्रबंध के लिए घाटों के निर्माण तथा विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि निर्माण कार्य चलने से स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा न हो। बैठक में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन से कार्यों की प्रगति का विवरण दिया गया।

शिक्षा और संस्थान के संस्कारों को हमेशा याद रखें विद्यार्थी : श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल आई.ई.एस. ग्रुप के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि शिक्षा को ज्ञान आधारित बनाने के साथ सेवा, संस्कार और संवेदनशीलता के मूल्य केन्द्रित बनाना होगा। विद्यार्थी शिक्षा और संस्थान के संस्कारों को हमेशा याद रखें। माता-पिता के संघर्षों को नहीं भूलें और उनके योगदान का सम्मान करें और कृतज्ञ रहें। श्री पटेल आई.ई.एस. ग्रुप के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उपस्थित जनों और विद्यार्थियों को ÷एक पेड़ माँ के नाम÷ अभियान से जुड़ने की अपील भी की। इस अवसर पर कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल मौजूद थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्थ, सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के व्यावसायिक और व्यावहारिक पक्षों में समन्वय जरूरी है। संस्थान को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा खेलकूद, स्वरोजगार, प्रबंधन, आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों की सराहना और संस्थान के 25 वर्ष के समुचित नेतृत्व और प्रबंधन को बधाई दी। रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राज्यमंत्री श्री गौतम टेटवाल ने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने संस्थान के प्रयासों की सराहना की। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष डॉ भरत सिंह शरण ने विकसित भारत की संकल्पनाओं को साकार करने के लिए संस्थान के सहयोग, सक्रियता और प्रतिबद्धता को निरंतर जारी रखने की बात कही। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलन कर किया। श्री पटेल का आई.ई.एस. विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इंजी. श्री बी.एस. यादव ने पुष्पगुच्छ से स्वागत और शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने रजत जयंती के अवसर पर संस्थान को 25 पौधे रोपण के लिए भेंट किए।

राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में जाना घायलों का हाल, बोले- प्रशासन की गलती से मची भगदड़

एजेंसी, हाथरस। हाथरस कांड में यूपी पुलिस की जांच जारी है। इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार सुबह पहले अलीगढ़ और फिर हाथरस पहुंचे। दोनों जगह हाथरस हादसे के घायलों से मिले। हाथरस से रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन की नाकामी से भगदड़ मची और लोगों को जान गंवाना पड़ी। इस बीच, यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। गुरुवार को पुलिस ने छह सेवादारों को गिरफ्तार किया। इसमें दो महिलाएं शामिल हैं। 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर फरार है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वह मनरेगा तकनीकी सहायक है। इसके सात ही, भीड़ रोकने, धकेलने और साक्ष्य छुपाने का प्रयास करने वाले सेवादारों को चिह्नित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी ने अब तक 70 लोगों के बयान दर्ज किए हैं।

कलेक्टर श्री दुबे की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। कलेक्टर श्री अरविंद दुबे की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे द्वारा अनुभाग और तहसीलवार राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण अधिक समय तक लंबित ना रहे। कलेक्टर श्री दुबे द्वारा डीडब्ल्यूआरएस, डिजीटल क्राप सर्वे, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना, सीएम किसान आधार बैंक खाता लिंक, पीएम किसान ईकेवायसी, भू-अर्जन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि प्रकरणों की जानकारी लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर राजस्व अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्रीमती श्वेता पवार, एसडीएम रायसेन श्री मुकेश सिंह, डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से अनुभागों से एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठक में शामिल हुए।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज नवीन कार्यों के उद्घाटन

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज में आयोजित नगर परिषद के कार्यक्रम में 4 करोड़ 66 लाख रुपए लागत से विभिन्न वार्डों में होने वाले निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधी भी उपस्थित रहे।

जिले में अब तक 79.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

बीते 24 घंटे में हुई 6.3 मिलीमीटर औसत वर्षा

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। जिले में 01 जून 2024 से 28 जून 2024 तक 79.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई औसत वर्षा से 77.1 मिलीमीटर कम है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1197.1 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून 2024 से 28 जून 2024 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र रायसेन में 150.1 मिलीमीटर, गैरतगंज में 03, बेगमगंज में 105.5, सिलवानी में 100.6, गौहरगंज में 108, बरेली में 40.8, उदयपुरा में 46.4, बाड़ी में 101.5, सुल्तानपुर में 88.7 तथा वर्षामापी केन्द्र देवरी में 47.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

बीते 24 घंटे में 6.3 मिलीमीटर औसत वर्षा

जिले में बीते 24 घंटे में 28 जून 2024 को प्रातः 08 बजे तक 6.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र रायसेन में 4.8 मिलीमीटर, गैरतगंज में 0, बेगमगंज में 0, सिलवानी में 0, गौहरगंज में 14, बरेली में 3.4, उदयपुरा में 6.4, बाड़ी में 8.5, सुल्तानपुर में 1.3 तथा वर्षामापी केन्द्र देवरी में 24.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। कलेक्टर श्री अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। कलेक्टर श्री दुबे ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि शासन द्वारा प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है। यह प्रमाण पत्र स्कूल में प्रवेश के साथ ही अन्य दस्तावेजों/पहचान पत्रों के लिए आवश्यक होगा। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु नवीन सीआरएस पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिससे कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी। प्रशिक्षण में भोपाल जनगणना कार्यालय से आए मास्टर ट्रेनर डीपीए श्री भूपेन्द्र सहाय, सांख्यिकी अन्वेषक दीपिका कुमारी, सहायक ग्रेड-2 श्री केके रोहित द्वारा 61 प्रशिक्षणार्थियों को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 तथा नवीन विकसित सीआरएस पोर्टल के संबंध में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला योजना अधिकारी तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्रीमती किस्मत शाहनी ने जानकारी दी कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा

जो कि बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाईसेंस इत्यादि के लिये आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण-पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज होगा। संशोधित अधिनियम-2023 के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा म.प्र. के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन मे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये नवीन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल से आम जन सीधे ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ई-मेल पर प्राप्त कर सकेंगे। यह पोर्टल यूजर फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पोर्टल पर सुरक्षित भी रहेगा। प्रशिक्षण में सभी जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ, शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सालयों से आए प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हुए।

डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। मप्र शासन द्वारा संचालित की जा रही डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेकर जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार पुरूष, महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदक को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं में बैंकों के माध्यम से 10 हजार रू से एक लाख रू तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मप्र शासन की ओर से योजना के तहत स्वीकृत इकाई की लागत पर 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा वह अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और आवेदक पूर्ण में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को न्यूतनम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसके

अतिरिक्त आवेदक वर्तमान में राज्य शासन एवं केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही नहीं होना चाहिए। योजना के तहत ग्यारंटी फीस मप्र शासन द्वारा दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक samast.mponline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर 56 में सम्पर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर श्री दुबे ने वृहद पौधरोपण हेतु तैयारियों की समीक्षा कर दिए निर्देश

जिले में वृहद स्तर पर चलेगा पौधरोपण अभियान, 20 लाख से अधिक पौधों का होगा रोपण

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। रायसेन जिले में जुलाई माह से वृहद स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर श्री अरविंद दुबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक सह वीडियो कॉन्फ्रेंस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन विभाग, नगरीय निकाय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से वृहद पौधरोपण हेतु की जा रहीं तैयारियों की जानकारी लेते हुए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वीसी के माध्यम से एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ से भी विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पौधरोपण हेतु की गई तैयारियों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि पौधरोपण के साथ ही उनकी देखभाल और सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, जिससे कि पौधे बड़े होकर वृक्ष का आकार ले सकें। कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि जिले में लगभग 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाना है। इसमें वन विभाग द्वारा 16 लाख पौधे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा एक लाख 40 हजार से अधिक तथा नगरीय निकायों द्वारा एक लाख 30 हजार से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। इनके अतिरिक्त अन्य

विभागों द्वारा भी पौधरोपण भी किया जाएगा। इस वृहद पौधरोपण अभियान हेतु सभी संबंधित विभाग समन्वित रूप से सभी तैयारियां पूर्ण कर लें। इस वृहद पौधरोपण अभियान में जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, नागरिकों, युवाओं को भी जोड़ना है। इनके अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों, स्वयंसेवी संगठनों, एनजीओ आदि को भी जोड़ा जाए। उन्होंने वीसी के माध्यम से सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, बाड़ी, गौहरगंज, सिलवानी, उदयपुरा आदि क्षेत्रों में पौधरोपण संबंधी व्यवस्थाओं की एसडीएम, जनपद सीईओ तथा सीएमओ से जानकारी ली। कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शासकीय कार्यालय परिसर, स्कूल परिसर, गौशालाओं, जल संरचनाओं यथा नदी, तालाब के तटों के समीप, अमृत सरोवरों के समीप आदि स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण किया जाए। वृहद पौधरोपण अभियान में जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करने तथा जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रायसेन में दीक्षारंभ समारोह आयोजित

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन - प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय रायसेन में दीक्षारंभ समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नव प्रवेशित विद्यार्थियों को तिलक अक्षत्र लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ इशरत खान, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुशवाह, जन भागीदारी समिति प्रभारी डॉ आलोक निगम भी उपस्थित रहे। समारोह में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को नवीन सत्र में प्रारंभ होने वाले विषयों और महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया गया। इसके उपरांत महाविद्यालय प्रांगण में पौधरोपण किया गया तथा महाविद्यालय को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। माह जुलाई 2024 के प्रथम कार्य दिवस पर कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे, पुलिस अधीक्षक श्री विकास शहवाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया सहित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्रगान जन-गण-मन का सामूहिक गायन किया गया।

जिले में अब तक 89.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

बीते 24 घंटे में हुई 5 मिलीमीटर औसत वर्षा

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। जिले में 01 जून 2024 से 30 जून 2024 तक 89.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई औसत वर्षा से 109.9 मिलीमीटर कम है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1197.1 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून 2024 से 30 जून 2024 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र रायसेन में 152.3 मिलीमीटर, गैरतगंज में 23, बेगमगंज में 128.3, सिलवानी में 104.6, गौहरगंज में 108, बरेली में 56.4, उदयपुरा में 51.1, बाड़ी में 119, सुल्तानपुर में 91.7 तथा वर्षामापी केन्द्र देवरी में 62.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

बीते 24 घंटे में 5 मिलीमीटर औसत वर्षा

जिले में बीते 24 घंटे में 30 जून 2024 को प्रातः 08 बजे तक 5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र रायसेन में 2.2 मिलीमीटर, गैरतगंज में 0, बेगमगंज में 5.2, सिलवानी में 4, गौहरगंज में 0, बरेली में 15.6, उदयपुरा में 4.7, बाड़ी में 10, सुल्तानपुर में 0 तथा वर्षामापी केन्द्र देवरी में 8.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

भैया शिवराज के कारण अब मध्यप्रदेश के बाद झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली की बहनें भी बनेंगी लाड़ली बहना ।

नवीन कानून व्यवस्था में न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का दिया गया है महत्व- कलेक्टर श्री दुबे

टीएल बैठक में की गई सीएम हेल्पलाईन तथा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

•एसपी श्री शहवाल ने नवीन कानून व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को दी जानकारी

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरविंद दुबे द्वारा समय सीमा वाले शासकीय पत्रों, सीएम हेल्पलाईन, वृहद पौधरोपण अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के प्रारंभ कलेक्टर श्री दुबे ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1975 तथा इडियन एवीडेन्स एक्ट 1872 अब एक जुलाई 2024 से नवीन स्वरूप में लागू हो गए हैं। जिसमें न्याय और नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा को महत्व दिया गया है। सभी अधिकारियों को नवीन कानून व्यवस्था तथा धाराओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कलेक्टर श्री दुबे ने जिले में वर्षा ऋतु में वृहद पौधरोपण अभियान हेतु की जा रहीं तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सम्पूर्ण जिले में लगभग 20 लाख से अधिक पौधों का रोपण होना हैं, इसमें सभी विभाग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। शासकीय भवनों के परिसरों में, नदी-तालाबों के किनारे, ग्राम पंचायतों में रिक्त शासकीय भूमि आदि जगहों पर पौधरोपण कराएं। किसानों को भी अपने खेतों में पौधरोपण करने हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने विभागवार

सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को प्राथमिकता से संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुबे ने उप संचालक कृषि से खरीफ फसलों की बोनी की स्थिति, उर्वरकों की उपलब्धता तथा किसानों को वितरण की जानकारी ली।

कानूनों के नवीन स्वरूपों की अधिकारियों को दी गई जानकारी

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विकास शहवाल ने जिला अधिकारियों को विभिन्न कानूनों तथा धाराओं के नवीन स्वरूप जानकारी देते हुए बताया कि एक जुलाई से देश में अनेक कानून नए स्वरूप में लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनियम में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री शहवाल ने बताया कि कानून के नए स्वरूप में दण्ड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ाने तथा भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा को महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को नवीन कानूनों की जानकारी देने के लिए जिले के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न कानूनों तथा धाराओं के नवीन स्वरूप की जानकारी देने मोबाइल एप एसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉ मोबाईल एप बनाया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बैठक में पीपीटी के माध्यम से कानून व्यवस्था के नवीन स्वरूपों तथा धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया। सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

जोखिम से बचने किसान भाईयों से फसल बीमा कराने की अपरी

खरीफ फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई

सम्भागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

रायसेन। जिले में खरीफ फसल का बीमा 01 जुलाई से शुरु हो गया है। उप संचालक कृषि श्री एनपी सुमन ने बताया कि खरीफ की प्रमुख फसल सोयाबीन के लिए 578 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान सिंचित 1020 रुपये प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित 652 रुपये प्रति हेक्टेयर, अरहर 680 रुपये प्रति हेक्टेयर, उडद 398 रुपये प्रति हेक्टेयर, मूंग 542 रुपये प्रति हेक्टेयर व मक्का के लिए 520 रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमा प्रीमियम राशि तय की गई है। खरीफ 2024 में सोयाबीन व मक्का पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है। पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंकों द्वारा काटी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षों से स्वैच्छिक कर दी गई है। जिन किसान भाइयों को फसल बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान भाई फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2024 तक बैंकों को निर्धारित प्रपत्र में सूचित करना होगा कि वह इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है। वहीं अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबन्धित बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्वेच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषक हेतु आवश्यक दस्तावेज फसल बीमा प्रस्ताव फॉर्म, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, जमा बंदी (भू अधिकार पुस्तिका) बोनी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अनिवार्य रहेगा।

सबसे जिम्मेदारी का काम है प्राइमरी स्कूल शिक्षक का

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया।सन 1986 में जारी हई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है ।एक शिक्षक का कार्य है, विद्यार्थियों को तमाम तरह की शिक्षा देना जो उसके जीवन में काम आए। और उसकी सफलता के रास्ते खोले परंतु आज के दौर में शिक्षक का काम शिक्षा देना ही नहीं रह गया है ,अब उसे वे कई गैर शैक्षणिक कार्य भी करना होते हैं जिसके चलते शिक्षा अब स्कूलों से निकल कर कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में विस्तारित होने लगी है।

प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य निर्माण की नीव मानी जाती है। छोटे बच्चे नन्हे पौधे के समान होते हैं उनके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है । एक शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं ,बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना भी होता है ।भविष्य का बेहतर नागरिक बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारियों का हिस्सा है लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक देश और समाज भी शिक्षक के प्रति अपनी जिम्मेदारी ना निभाए वे बेहतर शिक्षक तभी हो सकते हैं जब उनके काम की परिस्थितियां बेहतर हो उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए तभी हम एक अच्छी शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं।

सुशील शर्मा
प्राथमिक शिक्षक
सुल्तानपुर
जिला रायसेन मध्यप्रदेश

पत्रकारों को समाचार सूत्र गोपनीय रखने का अधिकार , पत्रकारों से सूत्र पूछने का पुलिस को भी अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट

भोपाल रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन

सूत्रों के हवाले से खबर लिखने वाले पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने पुलिस को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 22 की याद दिलाई है।चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'पत्रकारों के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार से उनकी खबरों के लिए सूत्र नहीं पूछ सकती है। यहां तक की कोर्ट भी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं

कर सकता।'चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल ये देखने को मिल रहा है कि बिना किसी ठोस सबूत और बिना जांच के पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन कर रही है।आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से चलने वाली खबरों के कई मामले कोर्ट में जा चुके हैं। कोर्ट ने पत्रकारों से खबरों के सूत्र बताने का आदेश भी दे चुके हैं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले के बाद मीडिया जगत में उत्साह है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में किसी विशेष कानून के जरिए पत्रकारों को अधिकार हासिल नहीं हैं। पत्रकारों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार बाकी नागरिकों की तरह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ङ्ग) के अंतर्गत ही मिले हुए हैं। पत्रकारों को अपने सूत्र को गोपनीय रखने का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 के तहत मिला हुआ है। इसमें 15 (2) सेक्शन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी पत्रकार को खबरों के सूत्र की जानकारी के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम कानून कोर्ट में लागू नहीं होते हैं। इसके आधार पर कोर्ट में किसी तरह की छूट की मांग नहीं की जा सकती है।

भीम आर्मी जिला सतना की समीक्षा बैठक हुई संपन्न साथ ही पुलिस अधीक्षक सतना को विभिन्न मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन।

कैलाश कुमार - सह संपादक (युवा प्रदेश)

सतना - दिनांक 02/07/24 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला सतना की जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। मुख्य रूप से उपस्थित रहे भीम आर्मी प्रदेश महासचिव सिद्धार्थ नालंदा जिला अध्यक्ष विजय वर्मा ,ज्योति भारती महिला बिंग भीम आर्मी ,जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र जायसवाल ,जिला उपाध्यक्ष गंगाराम वर्मा, मीडिया प्रभारी सावन कपूर जी, जिला प्रवक्ता मनीष रैदास ,रघुराज नगर तहसील अध्यक्ष रंजीत चौधरी ,नागौद तहसील अध्यक्ष अरविंद चौधरी, बिरसिंहपुर तहसील अध्यक्ष शुभम साकेत, मझगवां तहसील अध्यक्ष अंगद चौधरी, शरद प्रताप वर्मा ,रविकांत , रवि करण साहू करण वर्मा ,सचिन चौधरी ,चंद्रभान चौधरी ,बादल भारती ,अभिषेक जायसवाल ,पन्नालाल कोरी ,राजा कुआं ,प्रदीप कुमार, सुधीर वर्मा ,सुनील बौद्ध, संदीप चौधरी राजेश आदिवासी आदर्श सोनी रजनीश कुशवाहा विनोद चौधरी, अनेकों साथी उपस्थित रहे।

नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत जय संविधान जय जोहार जय मंडल भीम आर्मी जिंदाबाद ,नगीना सांसद बड़े भाई मननीय चंद्रशेखर आजाद जी जिन्दाबाद आजाद समाज पार्टी कांशीराम जिंदाबाद।

वाहन चोरों से 7 दो पहिया वाहन व 6 स्मार्ट फोन किये जप्त अन्य वारदात में 3 चांदी की चैन व नगद 10 हजार रूपये किये जप्त

भोपाल रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन

पुलिस आयुक्त व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल द्वारा निर्देशि पर वाहन चोरो को गिरफ्तार किया । 27 जूनको पेट्रोलिंग के दौरान खुशालाल अस्पताल के सामने से एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटर साईकिल से आते दिखा जो पुलिस को देखकर गाडी वापस कर भागने की कोशिश करने लगा जिसे घेरा बंदी कर पकडा नाम पता पूछा जिसने अपना नाम तथा पिता का नाम अपना निवास बरेली का रहना बताया उसकी बिना नंबर की मोटर सायकिल के बारे मे पूछताछ करने पर उसने करीब तीन माह पूर्व राहुल नगर से अपने दोस्त जो बरेली का ही निवासी है के साथ चोरी करना स्वीकार किया आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया की तीन दिन पूर्व राहुल नगर से सफेद एक्टिवा को चोरी किया था। इसके अलावा और अन्य वाहन दोस्त के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया चारों आरोपीयों से 7 दो पहिया वाहन व 6 स्मार्ट फोन किये जप्त इसके अलावा 3 चांदी की चैन व नगद 10 हजार रूपये भी जप्त किये। आरोपी बरेली से बस से आते थे वाहन चोरी करने बसो मे करते थे सावारियो के मोबाईल चोरी ।चोर अपने शौक पूरा करने के लिये करते थे चोरी चोरो का है पहले से थाने मे आपराधिक रिकार्ड। चोरों व नकबजन से कुल 7,50,000 रूपये का सामान बरामद किया गया ।इसी प्रकार 7 जून को नेहरू नगर से रात्रि के समय बुलट चोरी हुई थी जिसे अपराध क्रमांक 229/2024 धारा 379 भादवि का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया विवेचना के दौरान संभावित स्थानो पर प्राप्त सीसीटीव्ही फुटेज दिखाकर तलाश किया जो ग्राम ढाबला थाना रातीबढ क्षेत्र मे झाडियो मे लावारिस मिली चोरी गई बुलट के संबंध मे विश्वसनीय मुखबीर द्वारा संदिग्ध की पहचान ग्राम कुमारिया जिला देवास निवासी के रूप मे होने से आरोपी की तलाश की जा रही है । इसी प्रकार 29 जून को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि उसकी कबाडी की दुकान का शटर का ताला तोडकर कोई अज्ञात चोर तीन चांदी की चैन तथा 20 हजार रूपये नगद चोरी करके ले गया है। जिस पर से अपराध क्रमांक 283/2024 धारा 457,380 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया तलाश मे आरोपी उम्र 27 साल निवासी ग्राम बरखेडी सूखीसेवनिया हाल गंगा नगर झुग्गी श्यामला हिल्स भोपाल को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया ।

प्रकृति को सहेजने की हम सबकी जिम्मेदारी

सात अरब से अधिक आबादी और जैव विविधता की लाखों प्रजातियों का निवास स्थान हमारी पृथ्वी यानि हम सब की धरती माता ब्रह्माण्ड की सबसे सुंदर व जीवित ग्रह है। पृथ्वी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन हेतु पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सभी तत्व विद्यमान हैं। पृथ्वी हमें हमारी माता के समान हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व को मुफ्त में प्रदान करती है और हम मनुष्य स्वार्थवश व अधिक पाने की लालसा में पृथ्वी के प्रति दयाभाव न रखकर और क्रूर होते जा रहे हैं। असीमित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर हम स्वयं अपने लिए विकट स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी प्यारी पृथ्वी अपनी खूबसूरती खो चुकेगी और हमारे जीवन पर संकट के बादल छा जाएँगे क्योंकि पृथ्वी के बिना जीवन की कल्पना करना निरर्थक है। इसलिए पृथ्वी को बचाना हम सब की जिम्मेदारी ही नहीं आवश्यकता भी है।

विश्व पर्यावरण दिवस या पृथ्वी दिवस वर्षभर में किसी निश्चित तिथि को मना लेने तथा उक्त अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर लेने मात्र से हम अपनी प्रकृति को सहेज नहीं सकते हैं। अतः आज आवश्यकता है कि हम हर दिन को पर्यावरण संरक्षण दिवस व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि ₹ हम अपने आसपास की दुनिया पर प्रभाव डाले बिना एक भी दिन नहीं गुजार सकते। हम जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है और हमें यह तय करना होता है कि हम किस तरह का फर्क करना चाहते हैं।₹ निश्चय ही हम सब चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे,हमारा पर्यावरण संतुलित हो तो इसके लिए आवश्यक है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति को सहेजने में अपना-अपना योगदान देना होगा। किसी व्यक्ति विशेष या मात्र योजना बना लेने से हम हमारी पृथ्वी को सुरक्षित नहीं रख पाएँगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प ले कि हम अपनी पृथ्वी को सहेजने के लिए सार्थक प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यह कार्य इतना मुश्किल भी नहीं है। हम अपने रोजमर्रा की आदतों और व्यवहारों में अपेक्षित सुधार कर इस दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। हम अपने आसपास के परिवेश, सामुदायिक भवन, पार्क, नदी,तलाब आदि की स्वच्छता का ध्यान रख हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आसपास पौधों को लगाए और उन पौधों का संरक्षण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को ना कहे और अपने वातावरण को दूषित होने से बचाए। इसके साथ ही हम सब को इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। जल संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यक माँग है अतः हमें पानी को बर्बाद होने से बचाना होगा इसके लिए हमें हमारी आदतों में अपेक्षित सुधार लाने की आवश्यकता है। निकट भविष्य में बिजली की कमी हो सकती है अतः सोर ऊर्जा को बिजली के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जानी चाहिए। इन सब के साथ हमें अन्न संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत सी प्रजातियाँ अन्न के अभाव के कारण अपने अस्तित्व को खोते जा रही है जो हमारे स्वस्थ पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमें भोजन बर्बाद न हो इसके लिए सजग रहना होगा कहा भी गया है उतना ही ले थाली में कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न जाए नाली में। सड़ सकने वाले कचरों को हम जैविक खाद में बदलकर पर्यावरण स्वच्छता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कम उपभोक्ता वाली जीवनशैली को अपनाकर हम अपनी इस खूबसूरत सी प्रकृति को सहेज सकते हैं।

एक नागरिक के रूप में, समाज के सदस्य के रूप में हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस धरती माता से हम अपने जीवन के लिए सभी आवश्यक तत्व को ग्रहण करते हैं उसे सहेजने में और प्रकृति को खूबसूरत बनाए रखने में अपना पूरा-पूरा योगदान दें।

सुशील शर्मा
प्राथमिक शिक्षक
सुल्तानपुर
जिला रायसेन
मध्यप्रदेश

स्वास्थ्य शिविर में पांच साल तक की उम्र के 38 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण 300 से अधिक ग्रामीणजनों ने लीं विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं

भोपाल रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन

स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा ग्राम ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य शिविर लगाने की शुरुआत की गई है। विगत दिवस फंदा विकासखंड की ग्राम पंचायत कालापानी में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिविर में तीन सौ से अधिक हितग्राहियों ने स्वास्थ्य की विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके निवास क्षेत्र में ही स्वास्थ्य की सभी सेवाएं समग्र रूप से दी गईं।स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा समुदाय के बीच में जाकर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं । शहरी क्षेत्र में तंग बस्तियों में शिविर लगाकर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। पूर्व में श्रमिक पीठों पर एवं रैन बसेरे में भी विशेष शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत कलापानी में आयोजित विशेष शिविर में ए एन सी जांच में 3 महिलाओं में एनीमिया के लक्षण मिले हैं। इन महिलाओं को प्रतिदिन आईएफए सेवन एवं पोषण आहार की सलाह दी गई। शिविर में 67 लोगों की हाइपरटेंशन जांच में 4 का रक्तचाप बढ़ा पाया गया। 67 लोगों की डायबिटीज जांच में 2 लोगों में शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला है। शिविर में 17 आभा आई डी बनाई गई। 3 लोगों को वयस्क बी सी जी टीका लगाया गया। शिविर में पांच साल तक की उम्र के 38 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 16 बच्चों को नियमित टीकाकरण में टीके लगाए गए। शिविर में 11 चर्म रोग मरीज, 7 दंत रोग, 8 दृष्टि दोष एवं 5 यूटीआई मरीज मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल ने बताया कि भोपाल में विशेष स्वास्थ्य पूर्व से आयोजित किया जा रहे हैं जिनका विस्तार देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में गर्भवती महिलाओं का सौ प्रतिशत पंजीयन एवं जांच के साथ साथ समग्र आईडी, बैंक खाता आईएफएससी कोड सहित सभी जानकारी भी प्रविष्ट की गई। इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों का सहयोग भी लिया जा रहा है जिससे कि शासन द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से प्रत्येक हितग्राही लाभान्वित हो सके।

आकाशीय बिजली गिरने से 30 वर्षीय किसान युवक की मौत।

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज़

देवरी। मामला ग्राम पंचायत चीकली के टोला का है ये बात दिनांक 28 जून 2024 दिन शुक्रवार शाम 4:00 बजे की है जहां पर दो किसान युवक जिनका नाम प्रीतम अहिरवार और राजेश अहिरवार था दोनों साथ में खेती करते थे जब वह अपने खेत में बोनी करने के लिए गए थे। तब प्रीतम और राजेश में काफी फासला था मौसम ठीक ना होने के कारण वह यहां वहां के काम खेत में करने लगे तभी बादल में गर्जन हुई और आकाशीय बिजली राजेश अहिरवार के ऊपर गिरी जिसके कारण उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई और प्रीतम अहिरवार की दूरी होने के कारण मामूली चोटें आईं। दो बच्चों का पिता था मृतक राजेश अहिरवार।।

यूएई दुबई मैं इंडियन रियल इस्टेट अवार्ड नाईट संपन्न

भोपाल रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन

यूएई, दुबई में ग्रैविटी इवेंट्स द्वारा गोल्डन ब्रिक अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया जिसमे भारत के प्रतिष्ठित रियल एस्टेट व्यवसाई, बिल्डर्स एवम डेवलपर्स को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित किया गया। इवेंट में मध्यप्रदेश के रहने वाले यूएई के मशहूर समाजसेवक तल्हा आरिफ और अरब सोशलाइट मख्तूम अलमारजूकी दिवा ग्रुप की सीईओ निकोल रोड्रिग्यूज, सोशल वॉलंटियर मुनीर मुस्तफा एवम व्यवसाई कमेटी के अन्य लोग उपस्थित रहे। ग्रैविटी इवेंट के सीईओ शारिक खान ने सभी अतिथियों का विशेष आभार व्यक्त किया।

सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दी धमकी , पत्रकारों ने सोपा ज्ञापन।

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज़

बरेली। नगर में 2 जुलाई को क्षेत्रीय पत्रकार सामजिक संगठन के द्वारा एसडीएम संतोष मुद्दल सहित थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी को सोशल मीडिया पर पत्रकारों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वीडियो वायरल करने के विरोध में ज्ञापन सोपा है । ज्ञापन के माध्यम से सुनील ठाकुर निवासी सनखेड़ा के द्वारा रेत माफियाओं का बचाव करने एवं पत्रकारो के विरुद्ध भ्रष्टाचार के असत्य आरोप लगाने एवं सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के संबंध में स्वयं के फेसबुक अकाउंट पर वीडियो अपलोड कर पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। एवं पत्रकारों को मारने की धमकी दी गई है सुनील ठाकुर निवासी ग्राम सनखेड़ा द्वारा वीडियो अपलोड कर रेत माफिया को बचाने का प्रयास करते हुये पत्रकारों पर आरोप लगाये गए हैं जिससे पत्रकारों में भारी आक्रोश और असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में क्षेत्रीय पत्रकार सामाजिक संगठन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि यह घोर निंदनीय है हम सभी पत्रकार इसकी निंदा करते हैं और हमें देश के कानून पर भरोसा है हमने तीन दिन का समय दिया है यदि 3 दिन में कार्यवाही नहीं होती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने मांग की है कि उक्त सुनील ठाकुर को गिरफतार किया जाकर उसके विरूद्ध तत्काल ही उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि 03 दिवस में उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नही होती है तो हम पत्रकारगणों को आन्दोलानात्मक गतिविधियों के लिये विवश होना पडेगा । इस दौरान क्षेत्रीय पत्रकार सामाजिक संगठन के संरक्षक सुरेश विदुआ , यशवंत सराठे, क्षे.प.स.सं अध्यक्ष संजय शर्मा , दिनेश वबेले , अनिल वर्मा , अंकित तिवारी, माधुर राय , अरशद मसूद , निगार खान , जगदीश राजपूत , राकेश सोनी , रूपेश मेहरा, मंगल सिंह चौधरी अशोक सोनी , तुलसी धाकड़ , मुकेश प्रजापति , संतोष मालवीय , राजीव तारण, राजेंद्र धाकड़ , पवन सिलावट , राकेश सोनी, अशोक सोनी , आशीष रजक , लीलाधर साहू , देवेंद्र धाकड़ , रणधीर चौधरी , देवेश भार्गव आदि मौजूद रहे।

शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा में तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का हुआ समापन।

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज़

उदयपुरा। महाविद्यालय में दीक्षारंभ समारोह नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं हेतु अभिप्रेरण के उद्देश्य से 1 जुलाई से 3 जुलाई महाविद्यालय में आयोजित किया गया ! इस तीन दिवसीय समारोह में प्रत्येक दिवस पृथक पृथक गतिविधियों से छात्रा छात्राओं को लाभान्वित कराया गया द्य इस समारोह में अभिप्रेरणा के उद्देश्य से नव प्रवेशित छात्र- छात्राओं के समक्ष महाविद्यालय के संकाय गतिविधियों, विभागीय परिचय, पुस्तकालय भ्रमण एवं इसका उपयोग के अलावा पाठयत्तर क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। यह तीन दिवसीय समारोह महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अन्नू बड़कुड़ के निर्देशन में संपन्न कराया गया एवं उन्होंने नव प्रवेशित छात्र -छात्राओं को छात्र जीवन के प्रत्येक पहलू में अनुशासन बनाए रखने एवं प्रतिदिन महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति बनाएं रखने हेतु प्रेरित किया व एनईपी 2020 के संबंध में शैक्षणिक संरचना पर अपना व्याख्यान दिया द्य इस कार्यक्रम के संयोजक महाविद्यालय के ग्रंथपाल श्री सत्येंद्र कुमार आठिया द्वारा नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को पुस्तकालय का भ्रमण कराया गया एवं उसके उपयोग के

संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। इस समारोह का मंच संचालन श्री ओ.पी. वर्मा द्वारा किया गया एवं उनके द्वारा छात्र जीवन में अनुसंधान अवसरों पर चर्चा की। श्री प्रतीक लोधी द्वारा छात्र-छात्राओं के मध्य रैगिंग- रोकथाम एवं एनएसएस इकाई के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई। इस तीन दिवसीय समारोह में डॉ. पार्वती व्याघ्रे, डॉ.श्याम नेमा, श्री मनोज कुमार धुर्वे, संदीप कुमार साहू, के साथ-साथ अन्य स्टाफ सदस्यगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

आधुनिक नवाचारों से सीखना सिखाना हुआ आसान

शिक्षक द्वारा बनाए गए टी. एल. एम. एवं लर्निंग कार्डो से बच्चे हो रहे निपुण

संभागीय संवाददाता हेमंत शाक्य

सुल्तानपुर। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत संकुल प्राचार्य श्रीमती आर एस कुमार के कुशल मार्गदर्शन में सी एम राइस स्कूल सुल्तानपुर के प्राथमिक शिक्षक सुशील शर्मा द्वारा विभिन्न प्रकार के नवाचारों के माध्यम से सीखने सिखाने का कार्य करवाया जा रहा है विषय वस्तु सामग्री का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा बच्चे रोचक तरीके से सीखने सिखाने का कार्य कर रहे हैं आधुनिक नवाचारों के माध्यम से बच्चों में समझ विकसित हो रही है शिक्षक द्वारा स्वयं के पैसों से उत्तर प्रदेश से हिंदी, गणित,अंग्रेजी विषय के लर्निंग कार्ड बुलाए गए हैं एवं शाला स्तर पर भी टी एल एम सामग्री का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं शिक्षक द्वारा खेल-खेल में बच्चों को सिखाया जा रहा है जिसे बच्चे रोचक तरीके से सीख रहे हैं एवं उनमें समझ विकसित हो रही है शिक्षक ने बताया है कि बच्चे टी, एल एम सामग्री के माध्यम से खुद करके सीखते हैं एवं उनमें सीखने के प्रति रोचकता बढ़ी है टी एल एम सामग्री के द्वारा सीखना सीखना आसान हो गया है।

आजाद भारत में आज भी छुआछूत का दंश झेल रहे हैं स्ष्ट के लोगःअतरसिंह भारतीय

भले ही सरकारें अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए दंभ भरती हैं और राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को भी हिंदू ही कहती हैं। लेकिन इसकी सत्यता कुछ और ही बयां करती है। एक ओर तो भारत अमृत काल मानने की तैयारी कर रहा है लेकिन दूसरी ओर लोग छुआछूत जैसी कु प्रथा के शिकार आज भी हैं। हालाकि भारतीय संविधान तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। इतना ही नहीं बल्कि शासन व प्रशासन में पहुंचने वाले लोग भी न्याय करने की शपथ ग्रहण करते हैं। परंतु मध्य प्रदेश सहित भारत में आज भी खास तौर से मौजूदा हिंदू कही जाने वाली समाज में असमानता, अन्याय, अत्याचार, जातीय छुआछूत, शोषण, बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्थाएं जिंदा हैं। क्योंकि इनकी जड़ों में पोषण राजनीतिक पार्टी, जातीय संघठन और कुछ धार्मिक ग्रन्थों की आड़ में पंडे, पुजारियों एवं कथावाचकों द्वारा भरपूर दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ग्राम नादपुर थाना सिलवानी, जिला रायसेन मध्य प्रदेश के निवासी अंकित अहिरवार के सिर के बाल दुकानदार नवीन ने केवल इसलिए नहीं काटे क्योंकि अंकित अहिरवार जाति से हैं। जबकि अंकित के बार - बार आग्रह करने पर बाल तो नहीं काटे बल्कि उल्टा उसके साथ दिनांक 30 जून 2024 को दुकानदार नवीन और उसके चाचा त्रिलोकी ने अपनी दुकान चंदन पिपलिया में ही जातिगत गंदी गंदी गलौज कर जमकर मारपीट भी की। जिसके कारण अंकित अहिरवार के शरीर के विभिन्न अंगों में कई चोटें भी आई हैं। इतना ही नहीं बल्कि थाना प्रभारी सिलवानी ने लिखित में आवेदन देने के बाबजूद भी आज दिनांक तक एफ आई आर तक दर्ज़ नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि थाना प्रभारी महोदय भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी कु - प्रथाएं बंद हो। चूंकि ये भी अपने आप को ऊंची जाति के ही मानते हैं और अपराधियों को संरक्षण भी देते हैं नज़र आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण ग्राम पंचायत जामगढ़, थाना बरेली, जिला रायसेन मध्य प्रदेश का है। जहां आज तक अहिरवार जाति के लोगों को दाह संस्कार करने के लिए श्यमशान घाट नहीं है। जबकि इसके लिए पूर्व में तहसीलदार और एस डी एम महोदय बरेली सहित लिखित में शासन को भी अवगत करवाया जा चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ऐसे लगभग 70 - 90 फीसदी गांव हैं जहां आज भी अछूत कही जाने वाली अहिरवार जाति को दाह संस्कार के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सच्चाई यह भी है कि मध्य प्रदेश के लगभग 90 फीसदी गावों के मुख्य मंदिरों में अहिरवार सहित अन्य कई जातियों के लोग आज भी पूजा पाठ करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जातियां हिंदू धर्म में आज भी अछूत ही हैं। मजे की बात यह है कि इन जातियों के लोगों से गैर हिन्दू छुआछूत नहीं करते हैं। कई गांवों में अहिरवार जाति के लोगों के दूल्हा को घोड़ा पर नहीं बैठने दिया जाता है, ये लोग मूंछ नहीं रख सकते हैं। इन हालातों पर सनातन धर्म के मूल्यों पर भी सवाल खड़ा होता है कि अपने ही लोगों को गले लगाने की बजाय घृणा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? वर्तमान भारत में जरूरत इस बात की है कि उच्च कही जाने वाली जातियों के सामाजिक संघठन तथा धार्मिक संगठनों को जातीय छुआछूत, भेदभाव मिटाने के लिए गांव - गांव में अभियान चलाया जाना चाहिए। अन्यथा ऐसे में भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? चूंकि भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए दूषित मानसिकता के लोग अभी भी लगे हुए हैं। अर्थात जातीय छुआछूत जैसी बुराइयों के रहते हुए स्वच्छ भारत का नारा खोखला है। सबसे पहले समाज में फैली हुई गंदगी को साफ करना होगा। तब भारत स्वच्छ भी होगा और विकसित भी होगा।

स्वतंत्र कलमकार
अतर सिंह भारतीय
प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश
अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संघठन, भारत

जन सरोकार को समर्पित मध्यप्रदेश सरकार

ऐतिहासिक पहल कर नागरिकों को दीं 3 जनसुविधाओं की सौगात

संभागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

भोपाल - मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सरकार की मुहिम संचालित वर्तमान में सरकार का तेजी से प्रदेश के विकास में प्रयास

- पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा
- स्वास्थ्य सुविधा के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा
- धार्मिक पर्यटन के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का सफल संचालन मध्यप्रदेश में हो रहा है।

शिक्षक द्वारा किचिन सेड, कन्या शौचालय एवं पेयजल के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयासों से बच्चे हो रहे हैं लाभान्वित

शिक्षण कार्य के साथ-साथ भौतिक संसाधनों के लिए निभाई शिक्षक ने अहम भूमिका

संभागीय संवाददाता हेमंत शाक्य

सुल्तानपुर। प्राथमिक स्कूल सुल्तानपुर के शिक्षक सुशील शर्मा द्वारा निरंतर बच्चों के हित में शिक्षण कार्य करने के साथ-साथ विद्यालय में भौतिक संसाधनों को भी जुटाया गया है शिक्षक के व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय में कन्या शौचालय,एवं किचन सेड का निर्माण हुआ है एवं वर्तमान विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी से मिलकर पूर्व में पेयजल की व्यवस्था करवाई गई है जिसके कारण वर्तमान में बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं शिक्षक सुशील शर्मा ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाने का कार्य किया है शिक्षक द्वारा बताया गया है कि विद्यालय में किचन सेड, कन्या शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था नही थी उसके लिए व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे जो कि आज विद्यालय में उपलब्ध हैं जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है।

तीन नए आपराधिक कानून : पैकिंग नई, प्रोडक्ट वही !

02 जुलाई, भावना मंगलमुखी, मुंबई

सर्वप्रथम मैं सभी को यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं कोई कानून की विशेषज्ञ नहीं अपितु मैं मात्र एक कानून की जिज्ञासु विद्यार्थी हूं लेकिन समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखने हेतु ही मैं विभिन्न मुद्दों पर लिखती रहती हूं। चूंकि मैं सदैव रूढ़िवादिता की आलोचक और प्रगतिशील विचारों और सुधारों की समर्थक रही हूं इसलिए कई बार मेरे मन में भी यह ख्याल आता रहता था कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा 1860 में व्याख्यायित इंडियन पिनल कोड(आईपीसी) एवं दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड -- सीआरपीसी) की समीक्षा करके उसमें आज के समय की आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

हालांकि जब दिसंबर 2023 में इन तीनों कानूनों भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जब प्रथम बार संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था, तब पुराने कानूनों को गुलामी का प्रतीक और नए कानूनों को अपराध और न्याय जगत के लिए आमूलचूल क्रांतिकारी होने का जो ढिंढोरा पीटा गया था, कानूनी विशेषज्ञों के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक ये कानून वैसे ही ढाक के तीन पात साबित हो रहे है जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने से मानो कोई राम राज्य आ ही गया !

विशेषज्ञों द्वारा इन कानूनों के सूक्ष्म व गहन विश्लेषण से मुझे जो समझ आया है, वह यह है कि एक - दो अपराध जैसे राजद्रोह जो अब देशद्रोह बन चुका है तथा नाबालिग रेप और हिट एंड रन कानून को छोड़कर पुराने कानूनों में कोई विशेष क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। पुराने कानूनों में थोड़ी सी हेराफेरी के साथ आईपीसी की धाराओं के क्रम को बदलकर पेश किया गया है। कहीं दो उपधाराओं को एक साथ किया गया तो कहीं दो उपधाराओं को स्वतंत्र बना दिया गया। इसलिए मोटा - मोटी एक कानून में कहीं चार - पांच धाराएं बढ़ी हुई तो दूसरे कानून में घटी हुई नज़र आ रही है। इसलिए मैंने कहा कि प्रोडक्ट वही है, सिर्फ़ पैकिंग नई है।

सबसे ज्यादा जो आशंका जताई जा रही है वह है -- पुराना राजद्रोह का कानून जो अब देशद्रोह कानून बन चुका है। इस कानून में अधिक सख्ती की गई है, जो प्रथम दृष्टया और निष्पक्ष रूप से तो देशहित में प्रतीत हो रही है लेकिन इस सरकार की नियत को जानते हुए सरकार द्वारा इस कानून को देश के अंदर अपने हक - अधिकार की आवाज उठाने वाले और सरकार के किसी निर्णय से असहमति जताकर धरना प्रदर्शन करने वाले बुद्धिजीवियों के खिलाफ़ एक शस्त्र के रूप में उपयोग करने की आशंका से बिलकुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। संसद में राजदंड की स्थापना भी सरकार की इस मंशा को और पुष्ट करती है।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के संदर्भ में इस कानून में अपराध की गंभीरता -- 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष से कम आयु के साथ, जबरदस्ती - झांसेबाजी जैसी श्रेणीनुसार अलग - अलग रूप में सख्ती(आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक) का प्रावधान किया गया है। इसका हमें स्वागत करना चाहिए।

हालांकि पुरानी आईपीसी की धारा 377 जो समलैंगिक, पशुगमन जैसे अप्राकृतिक यौनाचार को प्रतिबंधित करती थी, उसे पूरी तरह खत्म कर देना और ट्रांजेंडर्स के लिए लैंगिक अत्याचार से सुरक्षा हेतु किसी धारा का कोई कोई प्रावधान न करना तृतीयलिंगी समुदाय के लोगों के लिए असुरक्षा एवं किंकर्तव्यविमूढता की स्थिति उत्पन्न करता है। उनके लिए शिकायत भी सिर्फ़ पुलिस अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करेगी, जो अधिकांश मामलों में खुद उनके शोषणकर्ता है।

कुल मिलाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि सोशल एक्टिविस्ट, ड्राइवर और ट्रांसजेंडर समुदाय के अलावा किसी आम व्यक्ति के लिए इन कानूनों से भयभीत होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आमतौर पर सरकार के आलोचक पत्रकारों और विश्लेषकों से भी निवेदन करती हूं कि कृपया इस एक मामले में कम से कम जनता को अनावश्यक भय न परोसा जाए क्योंकि भयभीत व्यक्ति को कोई भी अधिकारी अपने शोषण का शिकार आसानी से बना सकता है। हमारा उद्देश्य लोगों को निर्भय बनो के नारे साथ मजबूत और भयमुक्त बनाना होना चाहिए।

हालांकि मुझे इन कानूनों के प्रावधानों से ज्यादा तीन कृषि बिलों की भांति इन्हें संसद में बिना विपक्ष को विश्वास में लिए और सार्थक विचार - विमर्श के बिना अलोकतांत्रिक तरीके से पारित करने पर आपत्ति है।

वैसे गहराई से समझने पर एक बात यह भी सत्य प्रतीत होती है कि पुराने कानूनों को औपनिवेशिक काल के बताने का भी एक झूठा प्रोपेगेंडा ही था क्योंकि कानूनों में संशोधन व सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इससे पहले भी कई संशोधन हो चुके थे और आने वाले समय में भी सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के माध्यम से निरंतर संशोधन होते रहेंगे।

लेकिन अपने देश के डंकापति देवताओं के देवता जो ठहरे, हर समय कुछ न कुछ नया बनाने, समाप्त करने या बदलने का रिकॉर्ड अपने नाम करने की आत्ममुग्धता और सनक वाली मानसिक विकृति से ग्रसित है इसलिए ये भी समय -समय पर मोहम्मद बिन तुगलक की भांति कभी नोटबंदी, कभी आधी रात को जीएसटी लागू करना, कोरोनाकाल में भी राममंदिर और संसद भवन का निर्माण करवाना जैसे हैरतंगेज कारनामें करते रहते है।

अच्छा यह होता कि हर प्रकार के अपराध पर कठोर कानून बनाने के साथ अदालतों, जजों की संख्या बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने हेतु कुछ ठोस कदम उठाते।

सिर्फ़ धाराओं का क्रम बदलने से कानूनी विशेषज्ञों को भी उलझन होगी और उन्हें भी अब नए सिरे से अध्ययन करना और रटा लगाना पड़ेगा। फिर भी विशेषज्ञ तो मानो छह माह पश्चात नए सिरे से प्रशिक्षित हो जाएंगे लेकिन उन पुलिस अधिकारियों और कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को कितनी दिक्कत आएगी जिन्हें पहले की धाराएं भी ठीक से स्मरण नहीं रहती थी।

वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते है। किसी भी मुद्दे के पक्ष में जितने तर्क दिए जा सकते है, उतने ही तर्क उसके विरोध में भी दिए जा सकते है। आज के समय में सफ़ल अधिवक्ता सत्य हेतु लड़ने वाले के बजाय झूठ और गलत को भी सत्य साबित करने वाले को माना जाता है। लेकिन एक बात तो लोह की लकीर है कि कानून भले कितने भी अच्छे क्यों न बना दिए जाए, तब तक उनके सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकते जब तक उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किए जाए। इसी बात को लेकर मुझे आगे भी संदेह रहेगा क्योंकि महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने वाले वही लोग है, जो न्याय की गुहार लगा रही पहनवान बेटियों के अभियुक्त के साथ संसद में गलबहियां कर रहे थे और बिलकिस बानो के रेपिस्टों का माला पहनाकर स्वागत करवा रहे थे। हिट एंड रन मामले को बहुत गंभीर बताने वालों ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने वाले पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष उर्फ़ मोनू मिश्रा को उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों का वोट पाने हेतु जेल भेजा और चुनाव होते ही जमानत दिला दी। इसलिए कहा जाता है कि कानून वह मकड़ी का जाल है, जहां छोटे से कीड़े तो फंसकर मर जाते हैं लेकिन बड़े जानवर उसे फाड़कर निकल जाते हैं।

समग्र शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से कृषि भवन दिल्ली में मुलाक़ात

संभागीय पत्रकार हेमंत शाक्या

नई दिल्ली। गुरुवार 4 जुलाई को समग्र शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से कृषि भवन दिल्ली में मुलाक़ात की. इस अवसर पर समग्र शिक्षक संघ के संरक्षक व वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारीलाल सोनी, समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे, भोपाल जिला इकाई के जिला अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा आदि शामिल रहे, इस अवसर पर श्री सोनी ने शिवराज जी को महाकाल का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश के शिक्षको/कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों पर चर्चा की. इस अवसर पर होशंगाबाद क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह, पूर्व कर्मचारी कल्याण अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा भी उपस्थित थे।

करोड़ों के घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई, इंदौर से एडवाइजरी फर्म के 2 संचालकों को पकड़ा

इंदौर। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के विशेष दस्ते ने एडवाइजरी फर्म संचालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों पर देशभर के सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। इस घोटाले की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)और पुलिस भी जांच कर रही है। कंपनी पर देशभर में 29 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज है। सीबीआई (मुंबई) ने हाईकोर्ट के आदेश पर हाई ब्रो मार्केट रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड (हाई ब्रो) के विरुद्ध जांच शुरु की थी। आरोपित अवैध पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) चला रहे थे। आरोपितों ने वाट्सएप,टेलिग्राम ग्रुप के माध्यम से उच्च शिक्षित निवेशकों को झांसे में लिया और भारी रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपये निवेश करवाए। कोविड के बाद निवेशकों ने सेबी को ऑन लाइन शिकायतें भेजना शुरू की।फर्जीवाड़ा में विभिन्न राज्यों में करीब 29 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे। समूह ने 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और सेबी से जांच की मांग की। मामले में कंपनी के प्रमोटर गिरीश कुमार,चंदनसिंह राजपूत,मोहित श्याम रत्न छपरवाल,लक्ष्मीकांत लालमनी,हेमंत अग्रवाल,स्वप्निल विजय कुमार प्रजापति, संजना,अनामिका, पूर्वी, मोहिता,रजत सिंघानिया,वरुण सिंह आदी के विरुद्ध जांच शुरू हुई। फर्जीवाड़ा में करीब 250 बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के भी शामिल होने के सबूत मिलें। आरोपित बंद हो चुकी वेबसाइट वेज टू केपिटल डॉट काम के माध्यम से निवेश करवाते थे। सीबीआइ ने गुरुवार को एक साथ दो जगह छापे मारे और हेमंत व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों का शाम को एमवाय अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया और स्थानीय पुलिस के पास छोड़ दिया।

कबीर साहेब की जयंती पखवाड़ा पर कबीर मिशन समाचार पत्र ने की संगोष्ठी

मूलचन्द मेधोनिया पत्रकार भोपाल

भोपाल। मध्यप्रदेश का सुप्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र जो कि न सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग अपितु हर वर्ग के लोगों और पाठकों का चहेता बना पत्र के तत्वाधान में विगत दिनों भोपाल के हिन्दी भवन में महादेवी वर्मा सभा हाल में एक सामाजिक संगोष्ठी, जो कि कबीर मिशन समाचार पत्र के सराहनीय कार्य, कबीर साहेब जी की विचारधारा को फैलाने और हर वर्ग समुदाय के ऊपर हो रहें अन्याय की आवाज अपने पत्र में प्रमुखता से उठा कर शासन/प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते है। जिन कामों की समीक्षा एवं आगे और कबीर मिशन समाचार पत्र की सेवा पर सामाजिक लोगों के सहयोग करने की विशेष चर्चा हेतु पत्रकार व बुद्धिजीवी, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी सहित सेवा निवृत्त अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुये। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री लखन लाल जी पूर्व डीआईजी थे। विशेष अतिथि के रूप में माननीय चौधरी अमान सिंह नरवरिया जी, माननीय श्री सीताशरण सूरवंशी जी, माननीय श्री डी. के. सरसवाल जी, माननीय श्री सी. एल. वंशकार जी थे। जबकि अध्यक्षता माननीय श्री डा. जगदीश सूरवंशी अहिरवार समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहित सभी सम्मानित अतिथियों ने सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े निडर संत कबीर साहेब जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत कबीर मिशन समाचार पत्र परिवार के द्वारा सभी अतिथियों को एक माला के द्वारा एक साथ स्वागत किया। इसके बाद ही सामाजिक संगोष्ठी में परिचर्चा हेतु वक्ता श्री दीपक मालवीय, धर्मेन्द्र ठाकुर, श्री शाहिद अख्तर, श्री जितेंद्र मकवाना, श्री संजीव बौद्ध, श्री बृजेश आर्य, श्री निजामुद्दीन, एडवोकेट नसीम उल्ला खान, श्री रामेश्वर मालवीय प्रबंध संपादक कबीर मिशन, श्री मूलचन्द मेधोनिया सह संपादक कबीर मिशन, श्री पवन पत्रकार, श्री विश्राम सिंह , रामगोपाल वीलवान, श्री लक्षण सिंह वर्मा, श्री राम वर्मा सहित कबीर मिशन समाचार पत्र के पत्रकार और संवाददाता तथा विभिन्न समाचार पत्रों के संपादक महोदय, व साप्ताहिक, पाक्षिक मासिक पत्रिका इत्यादि सम्मानित पत्रकारों ने कबीर मिशन समाचार पत्र की संगोष्ठी में आकर अपना मार्गदर्शन दिया तथा कबीर साहेब जी की विचारधारा पर अपने उद्बोधन दिये। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय श्री लखन लाल जी पूर्व डीआईजी महोदय ने अपना विस्तार से वक्तव्य दिया, उन्होंने कबीर साहेब जी का जीवन परिच दिया, उनकी विचारधारा पर गहनता से बताया संत कबीर साहेब जी को देश दुनिया का सबसे बड़ा निर्भीक संत बताया और कहा कि कबीर साहेब जी ने सभी धर्मों के पाखंड को उजागर किया। तथा कुरीतियों, अंधविश्वास के विरोध में उन्होंने जीवन पर्यन्त वाणी, दोहा और अपने साहित्य में मानवता का संदेश देते हुए जनकल्याण का ही संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में भीम गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक डा. राजेन्द्र सूरवंशी जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। तथा कबीर मिशन समाचार पत्र के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन कबीर मिशन समाचार पत्र के प्रधान संपादक श्री इन्दर सिंह वर्मा ने किया। संगोष्ठी में सभी आने वाले सभी अतिथि जनों और मेहमानों के लिए कार्यक्रम में भोजन करा कर सफल आयोजन सम्पन्न हुआ। संगोष्ठी में पुनः जुलाई माह में कबीर मिशन समाचार पत्र की ओर से भोपाल संभागीय आयोजन करने की सहमति ली गई। जो कि कबीर मिशन समाचार पत्र के श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार, संवाददाता का सम्मान, अत्याचार की घटनाओं की खबरें शासन और प्रशासन को गंभीरता से लेने और अनुसूचित जाति के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर मनीराम अहिरवार जी को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिलाने के संबंध पर आगामी आयोजन किया जाने का संकल्प पारित किया।

देश का इकलौता पुल जिसकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात

भिंड/फूफ। एक साल के इंतजार के बाद आखिर मप्र से यूपी को जोड़ने वाले चंबल पुल से भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। पुल दोबारा से क्षतिग्रस्त न हो इसके लिए यूपी प्रशासन ने कुछ शर्तों पर भारी वाहनों का आवागमन शुरू कराए जाने की अनुमति दी है। पुल से ओवरलोड वाहन न गुजरें इसके लिए इटावा (यूपी) की तरफ दो

शस्त्र धारक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। वहीं भिंड (मप्र) की पीएनसी कंपनी के द्वारा दो निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। देश का यह इकलौता ऐसा पुल से जिसकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए गए हैं, जोकि 24 घंटे पुल से निकलने वाले भारी वाहनों की निगरानी कर रहे हैं। चंबल पुल इन दिनों कड़ी सुरक्षा में है। एमपी और यूपी के द्वारा इस पुल की निगरानी कराई जा रही है। वर्ष 1976 में यह पुल बनकर तैयार हुआ था। इस पुल पर ट्रैफिक का लगातार दबाव बना हुआ है। सबसे ज्यादा इस पुल को असुरक्षित करने वाले ओवरलोडेड वाहन है। मध्य प्रदेश की सीमा से यूपी की ओर हर रोज सैकड़ों की तादाद में काली गिट्टी और रेत से भरे ओवरलोड ट्रक निकलते थे। इस कारण से बार-बार इस पुल के बैरिंग टूट रहे थे। पुल स्लैब मूव होना बंद हो जाते थे। और उनमें दरार आ रही थी। इस पुल के क्रेक बार बार ठीक कराए जाते थे। फिर भी बार बार क्रेक आ रहा था यह सिलसिला पीछे तीन साल से चल रहा था। इस वजह से 8 जून 2023 से पुल पर से हैवी वाहनों को निकालना प्रतिबंधित किया गया था। 28 जून को शर्तों के आधार पर इटावा कलेक्टर ने चंबल पुल से भारी वाहनों का आवागमन शुरू कराए जाने की अनुमति दी है।

ओवरलोडिंग वाहनों से पुल असुरक्षित

ओवरलोडिंग वाहनों से पुल की सुरक्षा पर हमेशा सवाल खड़े होते आ रहे थे। इस कारण से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इटावा और भिंड जिला के प्रशासनिक अफसर पुल को चालू कराए जाने को लेकर सहमत नहीं हो पा रहे थे। पुल लगातार बंद रहने के कारण एमपी और यूपी के भिंड व इटावा जिले का राजस्व लगातार गिर रहा था। पिछले दिनों भिंड और इटावा जिला के प्रशासनिक अफसर ने चंबल पुल को चालू कराए जाने को लेकर आपसी सहमति बनाई और पुल पर से ओवरलोडेड वाहन निकला जाना प्रतिबंधित किया।

55 टन से अधिक भार वाला वाहन प्रतिबंधितः एमपी के भिंड और यूपी के इटावा जिले के प्रशासनिक अफसर ने पुल पर से अधिकतम भाग 55 टन निकाले जाने की शर्त के साथ पुल चालू कराए जाने का निर्णय लिया। अतः गिट्टी और रेत से भरे हुए वाहन उत्तर प्रदेश जाने के लिए भिंड जिला की सीमा से होकर जाते है।

निमाड़ की तीखी मिर्ची लाएगी खरगोन जिले में समृद्धि, 200 उद्योग लगेंगे, खुलेंगे रोजगार के द्वार

खरगोन। निमाड़ का खरगोन जिला सिर्फ कपास के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां की मिर्च भी देशभर में खासी पहचानी जाती है। मिर्च से जुड़े लगभग सौ से ज्यादा उद्योग फिलहाल जिले में रोजगार के साधन मुहैया करवा रहे हैं। अब इस कारोबार को विदेश तक पहुंचाने की योजना औद्योगिक विकास निगम और प्रदेश सरकार बना रही है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जिले में आगामी समय में मिर्च से जुड़े 200 उद्योग लगाए जाएंगे।

यह है मध्य प्रदेश सरकार की योजना

औसतन एक से डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ शुद्ध लाभ

किसान मिर्च की खेती से औसतन एक से डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ शुद्ध लाभ प्राप्त करता है। जिले में साढ़े तीन लाख किसानों में से 70 हजार किसान मिर्च की खेती करते हैं। जिले के डालकी के किसान बालकृष्ण पाटीदार ने टेराग्लेब समूह बनाया है। इसमें 300 किसानों के साथ 600 एकड़ जमीन में मिर्च की खेती की जाती है। विदेशों में रसायनमुक्त मिर्ची भेजी जाती है।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। **संपादक** :- नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)